प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद इटावा में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सम्पत्तियों की वार्षिक मूल्यांकन रेट सूची दिनांक–03.08.2015 से वर्तमान में लागू है। जनपद में गत अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नवे निर्मित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग से सटी भूमि की दरों में पायी गयी विसंगतियों के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति एवं मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम–4 के अन्तर्गत संशेधन प्रस्तावित हैं। जनपद की मूल्यांकन रेट सूची अगस्त, 2016 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संशेधन प्रस्ताव पर सुझाव/आपत्तियॉ सर्व साधारण से दिनांक–28.07.2016 के सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

प्रस्तावित संशेधनों को सम्मिलित करते हुये प्रस्तावित संशेधित मूल्यांकन सूची दिनांक–28.07.2016 तक समस्त उप निबन्धक/उप जिलाधिकारी व सहायक आयुक्त स्टाम्प व अपर जिलाधिकारी/कलेक्टर स्टाम्प/जिला निबन्धक जनपद इटावा के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जिसे किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति एवं मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम–4 के अन्तर्गत संशेधन प्रस्ताव पर सुझाव व आपत्तियॉ दिनांक–28.07.2016 सायं 5.00 बजे तक समस्त उप निबन्धक/उप जिलाधिकारी व सहायक आयुक्त स्टाम्प व अपर जिलाधिकारी/कलेक्टर स्टाम्प/जिला निबन्धक जनपद इटावा के कार्यालय में दिये जा सकते हैं। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त सुझाव व आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(नितिन बंसल)
जिलाधिकारी
इटावा।

कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।

पत्र संख्या–151/स्टाम्प लिपिक–रेट सूची–प्रेस विज्ञप्ति–16 दिनांक–जुलाई 21 ,2016

प्रतिलिपिः–

1– सहायक सूचना निदेशक जनपद इटावा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– सहायक आयुक्त स्टाम्प इटावा को सूचनार्थ।

3– सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

21/7/16
जिलाधिकारी,
इटावा।

श्रीमान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
जनपद - इटावा।

कृपया उक्त विज्ञप्ति एवं प्रस्तावित रेट सूचियों (समस्त 5 तहसील) को N.I.C ETAWAH LIVE पर अपलोड करने का कष्ट करें ताकि समयानुसार जनता में [illegible] हो सके। संलग्नक:- उपर्युक्त की सूचना पेनड्राइव में।